न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 134/2014

उनवान

शीला पत्नी बालू जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सुरजमल पुत्र छगना
2. गोपाल पुत्र छगना, जाति जाट निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद
3. उप पंजीयक, नसीराबाद
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 2 अनुपस्थित
3 व 4 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 12/04/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा की निम्न आराजी वादी की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की हहै :–

चौसाला ख0न0	बंदिंग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
606	603	0–18–0	635	0.15

उक्त आराजी के तत्कालीन खातेदार सुवा पुत्र छोगा, सुरजकरण पुत्र छगना व गोपाल पुत्र छगना ने दिनांक 22.08.1979 कोवादी को बैचान कर दी। विकेता सुवा पुत्र छोगा की मृत्यु हो गयी जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ही है। विकेतागण द्वारा भूमि का कब्जा व दखल केता को सौप दिया था। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम कर दी। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। [illegible] कर निवेदन किया कि सम्वत् 2042 की जमाबंदी के खाता संख्या 198 [illegible] नम्बर 603 रकबा 0–18–0 नामान्तकरण संख्या 88 दिनांक 16.0[illegible] [illegible] वादी के नाम दर्ज हुआ। प्रकरण में राज हित प्रभावित नही होते है। वादी अपना [illegible] सिद्ध करे।

वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न [illegible]नकियात कायम की गयी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की विधिक क्रयशुदा है ?

—— वादी

2. आया राजस्व अभिलेख का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व वादी के बयान नही दर्ज करवाना जाहिर किया। राज0 पैरोकार ने भी प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :—

तनकी संख्या 1 :—

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श वंर्किग जमाबंदी अनुसार आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 603 रकबा 0—18—0 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज है। नामान्तकरण संख्या 88 दिनांक 16.5.87 अनुसार उक्त आराजी जरियें विक्रय पत्र वादी के नाम खातेदारी दर्ज हुयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार ने विक्रय के तथ्य को स्वीकार किया है तथा वाद का कोई खण्डन नही किया है। वादी ने उक्त आराजी प्रतिफल राशि अदा कर क्रय की है। पंजीकृत दस्तावेज की सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। आराजी मुतनाजा वादी की विधिक क्रयशुदा सिद्व होती है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :—

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादी का विधिक क्रयशुदा है। वंर्किग जमाबंदी में विक्रय पत्र की पालना में वादी के नाम आराजी मुतनाजा खातेदारी अंकित की गयी है। वंर्किग खसरा नम्बर 603 के हाल खसरा नम्बर 635 रकबा 0.15 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम अंकित है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी अधिकार का अवसान हो चुका है। उनके द्वारा वाद के खण्डन हेतु उपस्थिति नही दी गयी है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी अनुसार वादी के नाम ही दर्ज करनी चाहिये थी। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के तथ्यों की ताईद होती है। तनकी संख्या 2 बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर 635 रकबा 0.15 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शीला बनाम सुरजमल

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 134/2014
पेश करने की दिनांक – 21.10.2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम दिलवाडा के हाल खसरा नम्बर **635** रकबा 0.15 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी पर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 04 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:19:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद